

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004


--
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10.07.2017

क्रमांक-एफ-1-33/2017/1/34: राज्य शासन एतद्वारा श्री एच.एस. गौड़, मुख्य अभियंता, नगर निगम, जबलपुर की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र जबलपुर के पद पर पदस्थ करता है।

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका-11 एवं 13 के अनुसार स्थानांतर आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन इत्यादि के आहरण हेतु स्थानांतरण नीति की कंडिका-12.2(i) एवं (ii) का पालन सुनिश्चित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक-एफ-1-33/2017/1/34,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10.07.2017

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
 4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, म.प्र. भोपाल।
 5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर।
 6. संबंधित कलेक्टर, जबलपुर/शहडोल/खरगोन/इंदौर मध्यप्रदेश।
 7. मुख्य अभियंता, जबलपुर/इंदौर।
 8. संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां.मध्यप्रदेश।
 9. संबंधित अधिकारी
 10. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग